राज्य में दूरसंचार कम्पनियों के आधारभूत ढाँचा के विकास के लिए सरकारी भूमि/भवनों पर दूरसंचार टावर स्थापित करने के लिए नीति संबंधी विषय पर मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 07 अगस्त' 2015 को आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/सचिव, विधि विभाग/अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

1. राज्य में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए यह नितांत आवश्यक है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा व्यापक पैमाने पर दूरसंचार टॉवर एवं संबद्ध आधारभूत ढाँचा का विकास हो। दूरसंचार कंपनियों द्वारा यह जानकारी दी जा रही है कि राज्य में निजी क्षेत्र में भूमि/भवनों की अनुपलब्धता के कारण दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में कठिनाई हो रही है।

2. **राज्य में दूरसंचार सेवाओं के व्यापक पैमाने पर विस्तार करने के दृष्टिकोण से निम्नवत निर्णय लिये गये :–**

2.1 दूरसंचार कंपनियों के अनुरोध पर विभिन्न विभागों की सरकारी भूमि/भवनों की छत दूरसंचार टॉवर एवं संबंधित ढाँचा की स्थापना के लिए लीज पर उपलब्ध करायी जा सकेगी। सभी शहरी स्थानीय निकायों के मामले में लीज पर भूमि/भवन उपलब्ध कराने की सहमति कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। जिला परिषद के मामलों में उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड परिसरों के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं ग्राम पंचायतों के मामलों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय लेकर सहमति दी जाएगी। अन्य सभी प्रकार की सरकारी भूमि/भवनों पर टॉवर एवं सम्बद्ध आधारभूत ढाँचा स्थापित करने की सहमति जिला पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। जिला पदाधिकारी संबंधित विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त करके निर्णय लेंगे।

7.8.15

2.2 जिले में दूरसंचार सुविधाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए जिला पदाधिकारी, सभी दूरसंचार कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके, उनकी आवश्यकता का आँकलन करके, सभी विभागों/स्थानीय निकायों से समन्वय करके समुचित तरीके से भूमि/भवन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। जिला पदाधिकारी इस प्रयोजन हेतु नोडल पदाधिकारी होंगे।

2.3 **सलामी** :–

दूरसंचार कंपनियों द्वारा भूमि/भवन के उपयोग के लिए एकमुश्त सलामीं निम्नवत जमा करनी होगी :–

(क) नगर निगम क्षेत्रों में अवस्थित भूमि/भवनों के लिए :– **25,000/–रूपये**

(ख) नगर परिषद एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में अवस्थित भूमि/भवनों के लिए :– **20,000/–रूपये**

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित भूमि/भवनों के लिए :– **15,000/–रूपये**

यह राशि संबंधित स्वीकृति प्राधिकार के स्तर पर जमा करनी होगी। इसके अलावे सालाना लीज राशि, उक्त राशि का 20 प्रतिशत अलग से हर वर्ष जमा करना होगा।

2.4 **संरचना की सुरक्षा** :–

(क) दूरसंचार कंपनी सृजित की जाने वाली संरचना की सुरक्षा के लिए मूल रूप से जिम्मेदार है। वे भूकम्परोधी गुणवत्तायुक्त संरचना स्थापित करेगी। साथ ही साथ स्थापित की जाने वाली संरचना के लिए समुचित सुरक्षा घेरा स्थापित करेगी।

(ख) दूरसंचार कंपनियों द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से संरचना सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र कार्य पूर्ण होने पर समर्पित किया जाएगा, जिसकी जिले के भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता द्वारा जाँच करके संतुष्ट हो लिया जाएगा। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल को 30 दिनों के अंदर अपना अभिमत

संसूचित करना होगा। यदि इस अवधि में अभिमत संसूचित नहीं होता है तो दूरसंचार कंपनी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र को स्वतः मान्य माना जाएगा।

(ग) विद्यालयों एवं कॉलेज परिसरों के 100 मीटर की त्रिज्या में दूरसंचार टॉवर स्थापित नहीं किये जाएंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रखंड परिसरों एवं थानों में टॉवर स्थापित किये जा सकेंगे।

2.5 टॉवर स्थापित करने के लिए स्वीकृति प्राधिकार एवं दूरसंचार कंपनी के साथ एग्रीमेंट होगा। प्रारंभिक अनुमति लीज पर 5 वर्ष के लिए दी जाएगी, जिसे अगले 5 वर्ष के लिए सलामी/लीज राशि में यथोचित वृद्धि कर आपसी सहमति के आधार पर विस्तारित किया जा सकेगा। दूरसंचार कंपनी, बिहार सरकार एवं भारत सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित किए जाने वाले नियम, अधिनियम एवं आदेशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।

2.6 संपत्ति, सृजन या संधारण की प्रक्रिया में सरकारी भूमि/भवन को होने वाली किसी भी क्षति की पुनर्स्थापना, दूरसंचार कंपनी द्वारा अपने खर्च पर की जाएगी। साथ ही साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिए वे समुचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

2.7 दूरसंचार कंपनी को टॉवर पर सर्विलांस कैमरा स्थापित करना होगा। बिहार सरकार भी आवश्यकतानुसार इन टॉवरों में निःशुल्क कैमरे लगा सकेगी।

2.8 इस प्रकार अनुमति प्राप्त स्थापित किये गये दूरसंचार ढाँचा का उपयोग आवेदक से भिन्न अन्य दूरसंचार कंपनियाँ भी कर सकेगी।

3. यह निर्णय लिया गया कि यह विषय "सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग" से संबंधित है। अतः तदनुसार इस कार्यवाही की प्रति सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध करा दी जाय, जो मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अंजनी कुमार सिंह),
मुख्य सचिव, बिहार

ज्ञापांक 05 न०वि०/नि 155/2015 4092 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/15

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

10.8.15

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक 05 न०वि०/नि 155/2015 4092 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/15

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/सचिव, विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.8.15

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 05 न०वि०/नि 155/2015 4092 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 12/8/15

प्रतिलिपि :– संबंधित विभागीय पदाधिकारी/Team Leader, SPUR को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.8.15

प्रधान सचिव